न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी:– डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 109/2013

परमजीत कौर पुत्री फूल सिंह पत्नी गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

—अपीलांट

बनाम

1. सर्दुल सिंह पुत्र जंग सिंह जाति जटसिख निवासी कमरानी तहसील टीबी जिला हनुमानगढ।
2. लामसिंह —मृतक

   2/1– कुलदीप सिंह पुत्र लामसिंह
   2/2– अमनदीप सिंह पुत्र लामसिंह | जाति जटसिख निवासी कमरानी तहसील
   2/3 अमरजीत कौर पत्नी लामसिंह | टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. छिन्द्रकौर पुत्री जंग सिंह पत्नी भूरा सिंह निवासी नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. मुकन्द सिंह पुत्र बदन सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 7 वाई मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर। —मृतक

   4/1 लामसिंह
   4/2 छिन्द्र | पिसरान स्व.मुकन्द सिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 वाई
   4/3 बिन्द्र | मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. गुरमीत कौर पुत्री बदन सिंह जाति जटसिख निवासी 7 वाई मोहनपुरा तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
6. उजागरसिंह पुत्र जयमलसिंह
7. गुरचरणसिंह पुत्र चरणजीतसिंह | जाति जटसिख निवासी 7 वाई मोहनपुरा
8. हरजीत कौर पत्नी नाजरसिंह | तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. इन्द्रजीत सिंह पुत्र नाजरसिंह
10. हरबंससिंह
11. गुरजन्टसिंह | पिसरान रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 7 वाई
12. गुरदयालसिंह | मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
13. ईकबालसिंह
14. हरमहेन्द्रसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

15. मलवेन्द्रसिंह पिसरान रणजीतसिंह जाति जटसिख निवासी गांव 7 वाई मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
16. मलकीतसिंह
17. कुलविन्द्र कौर | पुत्रीयान महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासीयान गांव 7 वाई
18. निर्मलजीत कौर | मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
19. तरसेमसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी गांव 7 वाई मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
20. अमनदीप कौर उर्फ परमजीत कौर पुत्री महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी गांव 7 वाई मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
21. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्त.अधि. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 26.07.2013

उपस्थिति–
श्री तेजासिंह, अभिभाषक अपीलांट
श्री मोहनलाल छाबडा अभिभाषक रेस्पों. सं. 2/1
श्री महावीर धारणीयां, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक– 1.7.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलांट ने एक दावा बाबत अधिकारों की घोषणा, बेदखल व विभाजन हेतु उपखण्ड अधिकरी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया। अपने वाद में वादी ने कथन किया कि वादीया के दादा के नाम से चक 4 एच.एम.एच. जिला हनुमानगढ में 2.277 है0 व चक 5 एच.एम. एच. में 3.345है0 व चक 2 एच.एम.एच. मे 7.790है0 अकेले के नाम से व चक 2 एच.एम.एच. में 6.453है0 जिसमें दादा के नाम से 2.277है0 भूमि थी। चक 7 वाई में 22 बीघा भूमि खातेदारी थी।

वादीया के दादा के नाम से चक 7 वाई खतोनी संख्या पुरानी 25 नयी 54 के मु.नं. 13,14, 20 में 12.651है0 नहरी में 4.995 है0 व खतोनी संख्या 55 नयी 26 में 0.459है0 नहरी भूमि जंग सिंह के नाम खातेदारी थी। जंग सिंह के मरने के बाद प्रतिवादी सं. 1 व 2 साजिश रचकर धोखे में रखकर दस्तबरदारी तहरीर करवाकर अपने नाम भूमि करवा ली।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

वादीया ने अपने वाद में दावा की मद सं. 11 के बिन्दु सं. 1 से 6 के अनुसार आदेश दिये जाने हेतु निवेदन किया।

(A)प्रतिवादीगण ने अधी. न्यायालय में प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मय शपथ पत्र पेश कर कथन किया कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रा.पत्र किसीभी स्तार पर प्रस्तुत किया जा सकता है एवं सर्वप्रथम निर्णित किया जाना कानूनन आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादीगण का उक्त प्रा.पत्र स्वीकार कर वादी वादी निरस्त फरमाया जावे।

(B) वादी ने अधी. न्यायालय में उक्त प्रा.पत्र का जबाब पेश कर कथन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

(B) अधी. न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 26.07.2013 को राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 05.04.2006 की अनुपालना में तथा प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11(डी) सीपीसी के अन्तर्गत वाद खारिज कर दिया।

(C) अपीलांट द्वारा उक्त आदेश से व्यथीत होकर यह अपील पेश की है।

(D) अपीलांट ने दिनांक 28.06.2019 को प्रा.पत्र 151 सीपीसी पेश कर अपील में प्रतिवादी सं. 3 से 20 की तलबी बन्द कर बहस सुने जाने का निवेदन किया। प्रा.पत्र की प्रति वकील रेस्पों. को दी गई।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

(i) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध पारित किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा दावे का जबाब नहीं दिया गया। बल्कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर दस्तबरदारी निरस्त करवाने की चुनौती दी है जो अदालतवाला के क्षेत्राधिकार में नहीं है। इसलिए दावा खारिज किया जावे। अधी. न्यायालय ने बिना दावे की Pit and Substence को न देखते हुए दावा खारिज करने में सख्त गलती की है। अपीलांट द्वारा दस्तबरदारी को निरस्त कराने का अनुतोष नहीं मांगा। भले ही अपीलांट का दावा अधिकारों की घोषणा, बेदखली व विभाजन का था। ये सारी बातें साक्ष्य में साबित होती थी। अधी.न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 का विवेचन सही ढंग से नहीं किया है। अधी. न्यायालय बिना तनकी

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

कायम कर अपना आदेश दिया है जो सही नहीं है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश व डिक्री निरस्त फरमायी जावे। अपने कथनों के समर्थन में वकील अपीलांट द्वारा आर.आर.डी 2017 पेज 273 एच.सी. , आर.आर.आर.डी.2017 पेज 81 , आर.आर.टी.2008 पेज 850 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

(ii) विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश सही तरीके से पारित किया गया है इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही है। रेस्पों. के अभिभाषक ने कथन किया इनको कई बार रजि. एडी पेश करने हेतु अवसर दिये गये लेकिन इनके द्वारा कोई रजि.एडी पेश नहीं की। रजि. सिविल डीड दस्तावेज विद्यमान है। पहले उसे निरस्त करवाये, उसे निरस्त करवाये बिना खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं करवायी जा सकती।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(a) इस अपील में यह भी विचारणीय बिन्दु है कि अपीलांट का न्याय प्राप्त करने की दिशा में आचरण भी देखा जाये। अपीलांट द्वारा न्यायालय की आदेशिकाओं का तत्पर होकर पालन नहीं किया। उसे पक्षकारों/प्रत्यार्थीगणों की तामीली हेतु रजि.एडी प्रस्तुत करने के 17 मौके दिये जिन्हें वह पालन करने में असफल रहा। तत्पश्चात उसके स्वयं की वांछा पर तामिली लोक समाचार पत्र में प्रकाशन के जरिये अवसर दिये। जिसकी पालना भी बावजूद 10 तारीख पेशीयों के गुजरने पर भी नहीं की गई। फलस्वरूप प्रत्यर्थी अधिवक्ता द्वारा दलील दी गई कि अपीलांट जानबूझकर न्यायालय की आदेशिका की अवहेलना का दोषी है। लिहाजा वे उन्हें अपील से तर्क करवाते, किन्तु ऐसा नहीं करके उनकी तामील बन्द करवाने का प्रा.पत्र देकर अपने आचरण को छुपा रहे हैं। ऐसी दशा में आदेश 9 सीपीसी के तहत मामला खारिज होने के परिणाम को स्वीकार करे।

(b) साथ ही प्रत्यर्थी अधिवक्ता ने अपीलांट के न्याय की दिशा में उसके स्वयं के आचरण को दर्शित करने हेतु राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 15.02.2018 के निर्णय की प्रति पेश करते हुए कथन किया कि वादीया स्वयं अन्य भूमियों में अपने हकों को प्राप्त करने के वाद में उक्त मामलें में संप्रकट पक्षकारों से राजीनाम कर लेती है व रेस्टोर प्रा.पत्र बाबत में उनकी अपील खारिज हुई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(c) प्रस्तुत मामले में अधी. न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.07.13 के द्वारा वादी का वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत यह विवेचन करते हुए निरस्त किया, राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 05.04.2006 का भी हवाला दिया गया है कि ऐसे मामले जिनमें दावे का मूल आधार/उपचार किसी पंजीकृत विलेख द्वारा विवादित भूमि के अंतरण या दस्तवरदारी (Release deed) की अवैधता का कथन करते हुए चाहा गया है। ऐसे मामलों में राजस्व न्यायालय को वाद स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि पंजीकृत विलेख की वैधता या अवैधता के आधार पर मूल उपचार निर्भर करता है तो उसका निर्णय क्षेत्राधिकार दीवानी न्यायालय को है। अतः ऐसा वाद आदेश 7 नियम 11(डी) सीपीसी के तहत खारिज किया जाना समाचीन है।

(d) वादी/अपीलांट का यह कथन कि मामलें में उपचार घोषणात्मक खाता विभाजन का है व अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.एक्ट के तहत किया गया है। अतः न्यायालय को Pith & substance देखना चाहिए। क्योंकि मूल उपचार राजस्व न्यायालय ही प्रदान कर सकता है। साथ ही अपने दावे में मुख्य आधार यह लिया कि उनके पिता द्वारा अपने भाईयों को सहखातेदार को Release deed किया। वह मामले में प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा साजिस रचकर धोखे से रजि0 विलेख तैयार कर म्यूटेशन अपने नाम कर लिया जिससे वादिया जोकि अपने पिता की हिस्से की भूमि की एकमात्र उत्तरजीवी है, के अधिकारों पर कुठाराघात हुआ।

उक्त दोनों कथनों के बीच यह तथ्य का प्रश्न है कि विधिनुसार वादीया के हितों की घोषणा तभी संभव है जबकि उक्त तथ्य के प्रश्न कि वादीया के पिता द्वारा Release deed की गई या नहीं? तथा उक्त Release deed धोखे से साजिस रचकर या अनुचित दबाव डालकर कराई गयी और अवैध है। प्रश्नों का निर्णय सिविल न्यायालय द्वारा करवाया जा सके।

(e) प्रस्तुत मामले में विधि व तथ्य के प्रश्न स्पष्ट व पृथक है परस्पर अन्तर्वलित नहीं है। अतः विद्वान अधी. न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती।

(f) विद्वान अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरें स्पष्ट है तथा सम्मान निवेदन करना चाहेंगे कि वे प्रस्तुत मामले में अपीलांट के पक्ष का पोषण नहीं करती। क्योंकि जैसाकि स्पष्ट है कि इस मामले में विधि व तथ्य का प्रश्न मिश्रित नहीं है अपितु पृथक है। क्योंकि उत्तराधिकार एवं रजि0 विलेख के सम्बन्ध में विधि स्पष्ट है। यह विधि का प्रश्न है जिसे साबित करने के बजाए न्यायालय के समक्ष स्वयमेव प्रतिपादित है जबकि उक्त दस्तावेज की अवैधता/वैधता या धोखा/अनुचित दबाव/कब्जे आदि के प्रश्न तथ्य के है और जहां रजि0 दस्तावेज की वैधता को चुनौती दी गई हो तथा मूल अधिकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(घोषणा व बंटवारा) उक्त दस्तावेज की अवैधता या वैधता के प्रश्न पर निर्भर हो तो वादी को चाहिए कि पूर्व में इस प्रश्न का निर्णय सक्षम सिविल न्यायालय से प्राप्त करे। अतः अपीलांट के तर्क कानूनी दृष्टि से पोषणीय नहीं पाते व अधी. न्यायालय का निर्णय सही पाते हैं।

उक्त विवेचन से अधी. न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 1.7.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर